उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 05 भाद्रपद, शक संवत्, 1943

(दिनांक : 27 अगस्त, 2021)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित (देखिए नत्थी **"क"**)

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख" एवं "ग"**)

3. निधन के निदेश।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम खुब्बनपुर (लतीफपुर) में रविदास मंदिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री गोविन्द पुत्र श्री रमेश चन्द, ग्राम खुब्बनपुर, पो0 खास जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम बहबलपुर में शमशान घाट की चारदीवारी व सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री पाल सिंह पुत्र श्री फग्गन सिंह, ग्राम बहबलपुर, पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम खानपुर में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में" श्री भूषण पुत्र श्री सुग्गन, ग्राम खानपुर, पो0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम हल्लूमाजरा में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री अंकित कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह, ग्राम हल्लूमाजरा, पो0 खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम खजूरी में खजूरी बस स्टैण्ड से मोलना अड्डे तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री योगेश कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र त्यागी, ग्राम खजूरी, पो0 मानकपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

11. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

13. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"घ"**)

14. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

15. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (डी0आई0 एम0एस0) विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

16. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (डी0आई0एम0एस0) विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पारित किया जाय।

17. **निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-**

1. श्री मनोज रावत, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य आन्दोलनकारी स्व0 श्री बाबा मोहन सिंह उत्तराखण्डी ने गैरसैंण को राजधानी बनाये जाने के लिए अपने प्राणों की आहूति दी थी इसलिए जनमानस की भावनाओं को देखते हुए भराड़ीसैंण (गैरसैंण) स्थित विधान भवन का नाम राज्य आन्दोलनकारी 'स्व0 श्री बाबा मोहन सिंह उत्तराखण्डी' विधान भवन भराड़ीसैंण /गैरसैंण कर दिया जाय।"

2. श्री महेश जीना, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये जनसंख्या के मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुये ग्रामसभाओं में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाय।"

3. श्रीमती ममता राकेश, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सिडकुल (औद्योगिक आस्थानों) की स्थापना की गयी है किन्तु उक्त आस्थानों में उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को नाम-मात्र का रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि उक्त कम्पनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा/आदेश किया गया था लेकिन किसी भी आस्थान/कम्पनियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।"

4. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के समेकित एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्तरीय आय व्ययक आवंटन को भौगोलिक एवं आर्थिक आलोक में युक्तिसंगत बनाने एवं राज्य के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक अधिकार सम्पन्न "आय व्ययक एवं वित पोषण समरूपता प्रदायक आयोग" का गठन कर उसका कियान्वयन किया जाय।"

18. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया "बाल गंगा विकास खण्ड" बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

19. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।"

20. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय"।

21. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय"।

22. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय"।

23. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय"।

24. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय"।

25. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु "राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।"

26. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।"

27. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।"

28. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय"।

29. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय"।

30. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय"।

31. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न करायें"।

32. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या-1118/XVII-1/2013-01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुर्नविचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या-02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय"।

33. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय"।

34. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय"।

35. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय"।

36. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय"।

37. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय"।

38. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहा पर यह कार्यरत है।

39. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि स्वर्गीय डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा उत्तराखण्ड द्वारा भराड़ीसैंण, (गैरसैंण) जनपद चमोली में विधान सभा भवन निर्माण कार्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए योगदान प्रदान करने के दृष्टिगत भराड़ीसैंण (गैरसैंण) विधान सभा परिसर के विधायक हॉस्टल का नाम उनकी पुण्य स्मृति में कर दिया जाय।"

40. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।"

41. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त कर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाय। और ऐसी संस्थाओं को चयनित करने के लिए इस वर्ग के प्रबुद्ध जनों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाय।"

42. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा ढोलीगांव व लूगड़ में जनहित को देखते हुए आई0टी0आई0 खोला जाय।"

43. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में अक्टूबर, 2005 के बाद से नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।"

44. **<u>निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-</u>**

1. श्री मनोज रावत, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत केदारनाथ विधान सभा में विश्वस्तरीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।"

2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि एक राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय दीर्घकालिक योजना निरूपित कर वर्तमान विषमताओं के निदान के लिए एक उच्च स्तरीय 'स्वास्थ्य सेवा परामर्शी दात्री आयोग' का गठन किया जाय।"

3. श्री महेश जीना, "यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में विकासखण्डों को विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नये विकास खण्डों के गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

45. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।"

46. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।"

47. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।"

48. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।"

49. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।"

50. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर "डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।"

51. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।"

52. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय"।

53. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।"

54. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।"

55. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।"

56. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के कमांक 24-25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गये है जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।"

57. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का लालन-पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।"

58. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित कास्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों को शीघ्र निस्तारण किया जाय"।

59. श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के किसानों की फसलों को बन्दरों व सुअरों के आतंक से बचाने व निजात दिलाने के लिए ठोस नीति बनायी जाय।"

60. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि डाटकाली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग सुनिश्चित किया जाय।"

61. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निरन्तर हो रही दैवीय आपदा के दृष्टिगत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग भूमिहीन परिवारों को राजस्व भूमि आवंटित कराने हेतु एक उच्चस्तरीय प्रादेशिक समिति गठित की जाय। जो उनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं युक्त स्थलों का विकास भी सुनिश्चित किया जाय और सिडकुल जैसी भूमि भी इसमें शामिल की जाय।"

62. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड-ओखलकाण्डा, धारी व रामगढ़ के मध्य एक पालिटैक्निक कालेज खोला जाय।"

63. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।"

64. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

65. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत "इरशाद हुसैन" आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।"

66. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

67. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय-व्यय निर्धारण में सम्बलियन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक-पृथक मात्राकरण आय-व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय-व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।"

68. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।"

69. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक-एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद-21के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हॉसिल हो सके।"

70. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एंव गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में बनने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।"

71. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये। ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्ध हो सके।"

72. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।"

73. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"अनुसूचित जाति बाहुल्य राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु।"

74. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"जनपद हरिद्वार के इकबालपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नहर का कार्य तत्काल शुरू कराने के सम्बन्ध में"

75. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र को कुम्भ क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में"

76. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए हरिद्वार में पूर्ण नशाबन्दी किये जाने विषयक"

77. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

78. जनपद हरिद्वार में कुम्भ नगरी में पिछले कुछ समय से स्मैक व अवैध शराब बिकी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आदेश चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

79. जनपद बागेश्वर के काफलीगैर क्षेत्र में एक ही विद्युत लाईन होने के कारण फाल्ट आने पर विद्युत आपूर्ति अक्सर बाधित रहने के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2021 को दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

(मुकेश सिंघल)
सचिव (प्रभारी)।

देहरादून :
दिनांक : 26 अगस्त, 2021

उत्तराखण्ड विधान सभा

द्वितीय सत्र, 2021
का प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 05 भाद्रपद, शक संवत्, 1943

(दिनांक : 27 अगस्त, 2021)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

काजी मौ0 निजामुददीन
04.08.2021

** क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पैराई सत्र 2021–22 के लिए प्रदेश में किसान आर्थिकी से जुड़े महत्वपूर्ण गन्ने का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार किसान हित में गन्ने का मूल्य बढ़ती महंगाई के अनुपालन में निर्धारित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास

कुँवर प्रणव सिंह
"चैम्पियन"
18.08.2021

** क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि खानपुर विधान सभा क्षेत्र के खेड़ी मुबारिकपुर ग्राम में स्थित जे0के0 टायर प्लांट में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से श्रमिक हित के विरूद्ध सहमति पत्र चोरी छिपकर अर्ध रात्रि में तैयार करवा कर, बहुसंख्यक श्रमिकों को दरकिनार कर श्रमिकों के हित के विरूद्ध विभागीय अधिकारियों की साठ–गांठ से पंजीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि एक माह से बहुसंख्यक श्रमिक, फैक्ट्री प्रबंधन के विरूद्ध कार्यवाही की मांग कर रहे हैं एवं उप श्रमायुक्त कार्यालय में प्रत्यावेदन देकर फैक्ट्री प्रबंधन के विरूद्ध वाद दायर कर चुके हैं? क्या यह सत्य है कि फैक्ट्री के कुल तीन हजार (3000) श्रमिकों में से चौबीस सौ (2400) श्रमिकों ने शपथ पत्र द्वारा प्रबंधन के तथाकथित सहमति पत्र का विरोध किया है? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि कतिपय अधिकारियों के द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन की सांठ–गांठ से उक्त अवैध तथाकथित सहमति पत्र को पंजीकृत कराया जा रहा है जिससे, श्रमिकों के हित की हानि होगी? क्या श्रम मंत्री स्वयं इस परिस्थिति का संज्ञान ग्रहण कर अविलम्ब श्रमिक हित में उचित कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम

नत्थी 'ख'

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 40 (2) के अन्तर्गत द्वितीय सत्र 2021 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री सौरभ बहुगुणा 06.08.2019	*1. क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र सितारगंज में स्थित सिडकुल के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों एवं कम्पनियों में स्थानीय कुशल/अकुशल बेरोजगारों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रोजगार नहीं दिया जा रहा है? उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्थानीय कुशल/अकुशल बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या मानक निर्धारित है? सरकार इसका अनुपालन न करने वालों पर क्या कार्यवाही करती है? मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि यदि कार्यवाही की है तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?	औद्योगिक विकास

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार 10.05.2021	*01. क्या लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लघु उद्योगों को राज्य की आर्थिक प्रगति और विकास का मूल आधार माना जाता है? क्या यह सत्य है कि राज्य में लघु उद्योग सरकारी उपेक्षा, नीतियों और सुविधाओं के अभाव में लगातार दम तोड़ते जा रहे है? क्या सरकार बतायेगी कि उत्तराखण्ड में कुल कितने उद्योग पंजीकृत है और उनमें से कुल कितने लघु उद्योग आतिथि तक कार्यरत है? क्या सरकार सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों की बंदी को रोकने के उपायों पर गम्भीरता से कार्य करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 10.05.2021	*02. क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 व वर्तमान पेराई सत्र 2021–22 में किसानों के गन्ने की बकाया धनराशि प्रदेश के किन–किन गन्ना मिलों पर देय है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान पेराई सत्र में गन्ने का भाव कब तक घोषित किया जायेगा? किसानों के गन्ने की बकाया धनराशि दिलाये जाने हेतु व वर्तमान पेराई सत्र का मूल्य निर्धारण करने की सरकार की क्या योजना है? यदि नहीं, तो क्यों ?	गन्ना विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 17.05.2021	**स्थगित।** *03. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में उपनल राज्य के विभिन्न विभागों में मांग के आधार पर कार्मिक उपलब्ध कराने का कार्य कई वर्षो से करता आ रहा है ? सरकारी आऊटसोर्स ऐजेन्सी प्रदेश में होने के बावजूद जेड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा0लि0, ए0वी0एस0एम0 सिक्योरिटी एण्ड़ आऊटसोर्सेज प्रा0लि0 तथा टी एण्ड एम0 सर्विसेज कन्सल्टेंट प्रा0लि0 मुम्बई को किस आधार पर प्रदेश में आऊटसोर्सेज ऐजेन्सी बनाया गया है? क्या सरकार उक्त बाहरी आऊटसोर्स ऐजेन्सीज के पात्रता/योग्यता–कार्यमुक्त सम्बन्धी दस्तावेज सदन के पटल पर रखेगी? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन बाहरी आऊटसोर्स ऐजेन्सीज से सरकार को सेस के रूप में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है जिसे राजकोष में जमा करवाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?	सैनिक कल्याण

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 17.05.2021	*04. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किसानों को वर्तमान रबी/खरीफ/तिलहन की बुवाई हेतु सब्सिडी दर पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? क्या सरकार बतायेगी कि कृषि केन्द्रों पर उपलब्ध प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता का समय–समय पर परीक्षण कराने तथा जवाबदेही निर्धारित करने की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 18.05.2021	*05. क्या गन्ना विकास मंत्री अवगत हैं कि इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के गन्ने का वर्ष 2018–2019, 2019–2020 की लगभग 175 करोड़ रूपये का बकाया है और आज तक न तो किसानों की बकाया धनराशि को लेकर शुगर मिल के विरूद्ध आर सी जारी की गई और न ही शुगर मिल की चल, अचल सम्पत्ति को कुर्क कर किसानों गन्ने का बकाया भुगतान दिलाया गया है ? क्या सरकार किसानों को गन्ने की बकाया धनराशि ब्याज सहित दिलाने कि लिये मिल प्रबन्धन के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ? **स्थगित।**	गन्ना विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 21.05.2021	*06. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के ऐसे फल उत्पादकों को अपने उत्पादन को मण्डियों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दिए जाने की कोई योजना गतिमान अथवा योजना क्रियान्वयन पर विचार किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि राज्य गठन से पूर्व प्रदेश की सरकार द्वारा फल उत्पादकों के उत्पाद को उद्यानों से मण्डियों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाती थी? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के फल उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे काश्तकारों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए उत्पाद के समुचित विपणन व मूल्य के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दिए जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान एवं फलोद्योग
श्री खजान दास 27.05.2021	*07. क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में औद्योगिक संस्थानों को स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क एवं रियायती दरों पर भूमि आवंटित किये जाने के साथ–साथ उद्योग लगाने हेतु अनुदान भी दिया जाता है? क्या सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश करने वाली कम्पनियों के साथ प्रदेश में उद्योग स्थापित करने पर उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी पर रखे जाने हेतु कोई करार किया जाता है ? यदि हां, तो औद्योगिक क्षेत्र में अब तक कितने स्थानीय बेरोजगारों को जिलेवार रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	औद्योगिक विकास

श्री खजान दास 04.06.2021	*08. क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2019 में सरकार द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में औद्योगिक घरानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उत्तराखण्ड प्रदेश में उद्योग लगाये जाने हेतु आकर्षित करने के लिये इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था ? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि उक्त समिट में निवेशकों के साथ कुल कितनी धनराशि का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया था तथा कितने प्रस्तावों पर करार किये गये थे और कितनों पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है ? क्या मंत्री जी बताएंगे कि नये औद्योगिक प्रतिष्ठान खुलने के बाद उनसे कुल कितने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हुआ है ? क्या सरकार इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर खर्च की गयी कुल धनराशि तथा समिट के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी गयी रियायतों व इससे उत्तराखण्ड के स्थानीय बेरोजगारों को जिलेवार उपलब्ध कराये गये रोजगार का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	औद्योगिक विकास
श्री फुरकान अहमद 07.06.2021	*09. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर में कई किसानों का गन्ने का भुगतान चीनी मिलों के ऊपर लम्बित है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र–अतिशीघ्र किसानों को गन्ने की फसलों का भुगतान करवाने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	गन्ना विकास
काजी मौ0 निजामुद्दीन 17.06.2021	**विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।** *10. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार की परम्परागत कृषि विकास योजना की गाईड लाईन का उल्लंघन करते हुए विभाग द्वारा प्राविधानों के विपरीत कृषकों को नकद धनराशि के स्थान पर बिना आवश्यकता के आकलन विभाग द्वारा बिना टेंडर के सामग्री स्वयं खरीद के निर्णय किस स्तर से लिये गये? क्या गाइडलाईन के अनुसार निर्णय लेने वाले स्तर इस हेतु सक्षम हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार जिम्मेदारों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? आपूर्ति की गई सामग्री का कितना सदुपयोग हुआ क्या इस पर कोई थर्ड पार्टी मूल्यांकन किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि

काजी मौ0 निजामुद्दीन 17.06.2021	**विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।** *11. क्या कृषि मंत्री के संज्ञान में हैं कि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम का उल्लंघन करके स्थानान्तरण के विकल्प के रूप में दीर्घ अवधि के सम्बद्धीकरण के आदेशों द्वारा काम चलाया जा रहा है? क्या इसका अधिकार कृषि निदेशक या किसी अधिकारी को है? क्या इन सम्बद्धीकरणों की जानकारी शासन के कार्मिक विभाग को है? क्या सरकार विधान सभा में पारित अधिनियम के घोर उल्लंघन के इस मामले में दोषियों के विरूद्ध जांच में सही पाये जाने पर उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री धन सिंह नेगी 18.06.2021	*12. क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में सिडकुल द्वारा आंवटित जमीन पर कुछ औद्योगिक इकाईयां बन्द हो गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन औद्योगिक इकाईयों ने कार्य बन्द कर लिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली नीति का विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	औद्योगिक विकास
काजी मौ0 निजामुद्दीन 21.06.2021	**स्थगित।** *13. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में हिमालय क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रभावी है? क्या इसमें बिना किसी टेंडर के ही वर्षों से खरीदारी की जा रही है? क्या गाइडलाइन में टेंडर कराए जाने का प्रावधान अंकित नहीं है? क्या यह सत्य है कि मिशन निदेशक द्वारा मई–जून, 2021 में कोई टेंडर प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी और फिर स्वयं ही टेंडर निरस्त कर दिए गए थे और पूर्ववत् बिना टेंडर के बजट खर्च कर खरीदारी जारी रखी गई? क्या सरकार टेंडर प्रकाशित करके निरस्तीकरण का कारण, उद्देश्य एवं क्षमता के बिन्दु पर कोई जांच कराएगी? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान एवं फलोद्योग
श्री महेश जीना 29.06.2021	*14. क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि विधानसभा क्षेत्र सल्ट में चाय उत्पादन की अपार सम्भावनाएं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार चाय उत्पादन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने तथा पलायन रोकने हेतु सल्ट में चाय बागान खोलने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान

श्री महेश जीना 29.06.2021	*15. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि योग्य भूमि अधिकांशतः बंजर हो गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अवगत करायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र की बंजर भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने के लिए सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? क्या सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की बंजर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने हेतु कोई ठोस नीति बनाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो क्या सरकार तद्सम्बन्धी कार्य योजना सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री राजेश शुक्ला 30.06.2021	*16. क्या कृषि शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रबन्ध परिषद पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव पारित कर उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध किया है कि सरकार पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की कार्यवाही करे? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार पं0 गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी? यदि हां ,तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि शिक्षा
श्री महेश जीना 01.07.2021	*17. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि उपज को बढ़ाने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ? क्या सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की कृषि उपज को बढ़ाने हेतु कोई नीति तैयार की है? यदि हां, तो तद्सम्बन्धी पूर्ण विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्री राजकुमार 07.08.2019	**स्थगित।** 1. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उपनल एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों में कुल कितने कार्मिक कार्यरत हैं ? क्या इन कार्मिकों की नियुक्ति/तैनाती में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है ? यदि हां, तो इनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने कार्मिक कार्यरत हैं ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सैनिक कल्याण

अतारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार 10.05.2021	01. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विधायक क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18, 2018–19 व 2019–20 में कराये गये कार्यों से कुल कितनी धनराशि जी0एस0टी0 के अन्तर्गत काटकर सरकारी खजाने में जमा करवायी गई है? क्या सरकार बतायेगी कि विकासखण्ड जौनपुर विकासखण्ड थौलधार में उक्त वर्षों में वर्षवार कराये गये कार्यों से विकासखण्डवार कुल कितनी–कितनी धनराशि सरकारी खजाने में जमा की जा चुकी है और कुल कितने प्रतिशत राशि जी0एस0टी0 में ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 10.05.2021	**द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 में स्थानान्तरित।** 02. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लॉकडाउन के चलते प्रदेश में अनौपचारिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों की परेशानी दूर करने व उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कारगर नीति का निर्माण किया गया है? क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे लोगों व उनके परिवारों पर मौजूदा संकट से बुरा असर पड़ा है और इन्हें राहत पहुँचाने के लिए क्या–क्या जरूरी कदम उठाये गये है और किस प्रकार राहत पहुँचायी गई? यदि नहीं, तो क्यों ?	औद्योगिक विकास
काजी मौ0 निजामुद्दीन 10.05.2021	03. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में औद्योगिक विकास हेतु निजी क्षेत्र का 01 मार्च, 2017 से आज दिनांक तक धरातल पर कहां–कहां पर और कितना–कितना निवेश हुआ और किस–किस उद्योग में हुआ यह उद्योग किन–किन स्थान पर स्थापित हुए ? यदि नहीं, तो क्यों?	औद्योगिक विकास
काजी मौ0 निजामुद्दीन 11.05.2021	04. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में दिनांक 01.03.2017 से आतिथि तक कितने उद्योग स्थापित हुए? यदि नहीं, तो क्यों?	औद्योगिक विकास
श्रीमती ममता राकेश 11.05.2021	05. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 'मेरा गांव मेरी सड़क' योजना को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है? यदि नहीं, तो हरिद्वार जनपद के विकासखण्ड भगवानपुर में वर्ष 2017 से अब तक उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी सड़के बनायी गयी है ?	ग्राम्य विकास

श्रीमती ममता राकेश 11.05.2021	06. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में विगत चार वर्षों, 2017 से वर्तमान तक मेरा गांव मेरी सड़क योजना में कितनी सड़कें बनाई गई हैं? यदि हां तो क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उक्त योजना बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री करन माहरा 11.05.2021	07. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधायक निधि से महिला मंगल दल या महिला समूहों को आजीविका उपार्जन हेतु मसाला यूनिट या अन्य यूनिट लगाने के लिए मशीनरी इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु धनराशि प्रदान की जा सकती है? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री करन माहरा 12.05.2021	08. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा/ऊधमसिंहनगर में ग्राम्य विकास अधिकारी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल कितने पद रिक्त है? क्या सरकार इन रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्रीमती ममता राकेश 12.05.2021	09. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में लॉकडाउन अवधि में कुल कितने औद्योगिक इकाईयां बन्द हो गयी हैं तथा लॉकडाउन में शिथिलता दिये जाने के उपरान्त कितनी इकाईयां वर्तमान में भी बन्द हैं और कितनी पुनः संचालित की जा रही हैं? सरकार बन्द पड़ी ईकाईयों को पुनः संचालित किये जाने हेतु क्या प्रयास कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	औद्योगिक विकास
श्रीमती ममता राकेश 12.05.2021	10. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली फैक्ट्रियों द्वारा फैक्ट्री अधिनियम का पूर्णतः पालन किया जा रहा है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में कार्यरत उद्योग 70 प्रतिशत स्थाई रोजगार स्थानीय लोगों को देने का कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, तो जो उद्योग इसका अनुपालन नहीं कर रहे है सरकार उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नही, तो क्यों ?	औद्योगिक विकास

श्रीमती ममता राकेश 12.05.2021	11. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में आवास हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए है तथा वर्तमान तक प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कितने पात्र अभ्यर्थियों को आवास उपलब्ध कराये गये है? यदि नहीं, तो कब तक पात्र अभ्यर्थियों को आवास उपलब्ध कराये जायेंगे ?	ग्राम्य विकास
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 12.05.2021	12. क्या कृषि मंत्री अवगत है कि कोरोना काल में किसानों की खेती को बढावा देने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है और खेती को बढावा देने के लिये राज्य में क्या योजना चलाई जा रही है? क्या सरकार जनपदवार कितने क्षेत्र पर खेती की जा रही है, की अद्यतन स्थिति सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
काजी मौ0 निजामुद्दीन 13.05.2021	13. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 01.03.2017 से आतिथि तक उद्योग स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र से कितना निवेश हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों?	औद्योगिक विकास
श्री राम सिंह कैड़ा 13.05.2021	14. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र भीमताल के मलुवाताल ग्राम सभा के ग्रामीण मोटर मार्ग की मांग को लेकर लामबन्द है ? यदि हां, तो क्या ग्रामीणों ने 2019 लोक सभा चुनाव का भी बहिष्कार किया था ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 13.05.2021	15. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा उपनल की भर्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण की क्या व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों ?	सैनिक कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 17.05.2021	16. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल व जनपद उत्तरकाशी में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों पर जी.एस.टी. योजना की स्वीकृत धनराशि पर लिया जा रहा है या योजना के लिए खरीद की गई सामग्री अंश पर लिया जा रहा है? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना अन्तर्गत सम्पादित कार्यों में किस दर से कुल कितने प्रतिशत जी.एस.टी. की कटौती भुगतान राशि पर की जा रही है? क्या सरकार इन योजनाओं के लिए अपनायी जा रही मार्गदर्शी नियमों को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार 21.05.2021	17. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन ग्रीन हाऊस टेक्नोलोजी की स्थापना कहां पर व कब की गई है? क्या सरकार बतायेगी कि कृषकों को ग्रीन हाऊस टेक्नोलोजी स्थापना से क्या-क्या लाभ हो रहे है और अब तक कितने कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान एवं फलोद्योग
श्री प्रीतम सिंह पंवार 21.05.2021	18. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पहाड़ी जिलों से काश्तकारों को अपनी नगदी फसलों को बाजार अथवा मण्डियों में पहुंचाने के लिए भारी व्यय लगता है? क्या यह सत्य है कि ऐसी परिस्थिति में काश्तकारों को अपनी उपज का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है ? क्या सरकार काश्तकारों की उपज को उनके नजदीकी व सुगम क्षेत्रों से ही क्रय किये जाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 25.05.2021	19. क्या उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में औद्यानिकी के क्षेत्र में विविधतापूर्ण विकास की सम्भावनायें विद्यमान है? मौसमी एवं गैर मौसमी सब्जियों के अतिरिक्त चाय, औषधि एवं सगंध पादप मशरूम की खेती तथा मौन पालन वृहत रूप में सम्भव है? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या ठोस प्रयास करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 25.05.2021	20. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में औधानिक उत्पादों के संग्रहण, ग्रेडिगं, पैकिंग व्यवस्था हेतु कास्तकारों को पैक हाऊस निर्माण हेतु कोई योजना गतिमान है? यदि हां, तो वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-2020 में जनपदवार कुल कितने कास्तकारों को पैक हाऊस निर्माण हेतु राजकीय सहायता दी गई और एक कास्तकार को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान एवं फलोद्योग
श्री प्रीतम सिंह पंवार 25.05.2021	21. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में औद्यानिक क्लस्टर बनाये गये हैं? इन औद्यानिक क्लस्टरों में कितने गांव सम्मिलित किए गये है? क्या सरकार बतायेगी कि औद्यानिक क्लस्टर में कुल कितना फलों का उत्पादन हो रहा है और इससे कुल कितने कृषक लाभान्वित हुए है ? यदि नही, तो क्यों?	उद्यान एवं फलोद्योग

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 25.05.2021	22. क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने को कष्ट करेंगे कि कोविड–19 की दर में अधिक वृद्धि हुई है, राज्य के बेरोजगारों के साथ–साथ बाहरी राज्यों से प्रवासी बेरोजगार भी कोविड–19 महामारी के कारण अपने मूल राज्य उत्तराखण्ड वापिस आये है इन बेरोजगार युवाओं को अधिकतम रोजगार देने के लिये उपनल के माध्यम से क्या प्रयास किये जा रहे है, जिससे अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके? यदि नहीं, तो क्यों?	सैनिक कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 27.05.2021	23. क्या भाषा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी लोक बोली को प्रोत्साहित करने, संरक्षण, सम्वर्द्धन और उन्नयन के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? क्या सरकार बतायेगी कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी लोक बोली में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए लेखकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना है? यदि हां, तो वह योजना कब से प्रारम्भ की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?	भाषा
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 27.05.2021	24. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि यंत्र उत्तराखण्ड योजना में कृषि यंत्र व किसान श्रेणी के अनुसार सामान्य / ओ0बी0सी0 / एस0सी0 / एस0टी0 को 40 से 70 प्रतिशत का लाभ दिया जाता है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा में वित्तीय वर्ष 2020–21 में कितने किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री प्रीतम सिंह पंवार 28.05.2021	25. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उद्यान लगाकर फलोत्पादन को रोजगार का साधन बनाये जाने के लिए शिक्षित बेरोजगार इच्छुक नौजवानों को सरकार द्वारा क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वे कौन–कौन सी योजनाएं व कार्यक्रम हैं जिससे ग्रामीण बेरोजगार युवा फलोत्पादन को रोजगार का साधन बना सकें? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार द्वारा ऐसे इच्छुक बेरोजगारों को सरकारी भूमि लीज या पट्टे पर दिए जाने की कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान एवं फलोद्योग

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 28.05.2021	26. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में अवस्थित उद्योग ईकाईयों में अनु0जाति/अनु0जनजाति/ओबीसी तथा महिला आरक्षणों का प्राविधान है, जिससे राज्य के विभिन्न श्रेणियों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके तथा इन औद्योगिक ईकाईयों में राज्य के अधिकतम बेरोजगारों को रोजगार समानता के साथ उपलब्ध हो सके? यदि नहीं, तो क्यों?	औद्योगिक विकास
श्री खजान दास 28.05.2021	27. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद प्रदेश में पलायन में वृद्धि हुई है तथा हजारों गांव गैरआबाद हो गये हैं? क्या सरकार पलायन को रोकने हेतु कोई ठोस नीति बना रही है? यदि हां, कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 31.05.2021	28. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एकीकृत बहुउद्देश्यीय जल संग्रहण परियोजना के अन्तर्गत विगत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में किसानों के लाभ हेतु क्या–क्या कार्य किये जा रहे है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 02.06.2021	29. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि परम्परागत कृषि क्लस्टरों पर कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन से कार्य किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री खजान दास 03.06.2021	30. क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में औद्योगिक संस्थानों को स्थापित किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क एवं रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाती है? क्या सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश करने वाली कम्पनियों के साथ प्रदेश में उद्योग स्थापित करने पर उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी पर रखे जाने हेतु कोई करार किया जाता है? यदि हां, तो औद्योगिक क्षेत्र में अब तक कितने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?	औद्योगिक विकास
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 04.06.2021	31. क्या गन्ना विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य के गन्ना किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा गन्ने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की मंजूरी दी है, और अभी तक कितने गन्ना किसानों को गन्ना सब्सिडी प्रदान की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?	गन्ना विकास

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 08.06.2021	32. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाईयों में उत्तराखण्ड औद्योगिक नीति के तहत 70 प्रतिशत उत्तराखण्ड राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	औद्योगिक विकास
श्री हरीश सिंह 09.06.2021	33. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है एवं बी0पी0एल0 श्रेणी हेतु हुए सर्वे में छूट गये है, को जोड़ने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 11.06.2021	34. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि राज्य में "मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन" के अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषकों के लिए कम मूल्य में कृषि यंत्रों के लिए योजना चलाई जा रही है? क्या इस योजना का लाभ राज्य के किसानों को मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री धन सिंह नेगी 15.06.2021	35. क्या उद्यान मंत्री अवगत है कि राज्य में सेब उत्पादन के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चम्बा मसूरी फलपट्टी धनोल्टी, डाडाचली नकोट, अंजनीसैण काण्डीखाल क्षेत्र में सेब उत्पादन क्षेत्र के लिये सरकार कोई प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उसका विवरण उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री धन सिंह नेगी 15.06.2021	36. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में मनरेगा के तहत प्रशासनिक सहायक एवं जूनियर इंजीनियर रखे गये है? यदि हां, तो क्या सरकार इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों को दिये जाने वाले मानदेय से अवगत करायेगी? क्या यह भी सत्य है कि उक्त कार्मिक समायोजन की मांग भी कर रहे है? यदि हॉ, तो क्या सरकार के पास उनके समायोजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नही, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री धन सिंह नेगी 15.06.2021	37. क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में सिडकुल के पास लैण्डबैक की योजना है? यदि हॉ, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक सिडकुल के पास कितनी जमीन औद्योगिक क्षेत्र के लिये दी गयी है तथा उसमें से कितनी जमीन औद्योगिक इकाईयों को आवंटित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	औद्योगिक विकास

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 15.06.2021	38. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि वर्तमान समय में जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से संचालन की जिम्मेदारी एवं अन्य कार्यों की जिम्मेदारी वी0डी0ओ0 और वी0पी0डी0ओ0 पर होती है? क्या यह सत्य है कि प्रदेश में वी0डी0ओ0 और वी0पी0डी0ओ0 के वर्तमान में स्वीकृत पदो के सापेक्ष लगभग 500 पद रिक्त चल रहे हैं ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार इन पदों को कब तक भरने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ग्राम्य विकास
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 15.06.2021	**द्वितीय गुरूवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 58 में स्थानान्तरित।** 39. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं प्राकृतिक आपदा से कुल कितने कच्चे पक्के मकान गिर गये है, उनमें कितने लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में शामिल किया गया है? क्या सरकार शेष पात्र परिवारों को आवास देने पर विचार कर रही है? यदि हॉ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
काजी मौ0 निजामुद्दीन 17.06.2021	40. क्या उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उद्यान विभाग के अधिकारियों के मध्य वरिष्ठता की पत्रावली कार्मिक विभाग की रिपोर्ट के बाद विगत एक वर्ष से किस स्तर पर कितनी–कितनी अवधि से लम्बित है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विलम्ब का कारण क्या है?	उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण
श्री सुरेश राठौर 18.06.2021	**द्वितीय गुरूवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 59 में स्थानान्तरित।** 41. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड प्रदेश के ग्रामों में कितने कूड़ा घरों की भूमि पर अवैध कब्जे है? यदि हॉ, तो उनको हटाने की क्या कार्यवाही गतिमान है? क्या सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामों में ठोस एवं तरल कूड़ा–कचरा प्रबन्धन कार्यो का समुचित प्रबन्धन किया जा रहा है? यदि हॉ, तो क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास

काजी मौ0 निजामुद्दीन
21.06.2021

42. क्या उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री अवगत हैं कि उद्यान विभाग के तकनीकी कर्मचारियों के संघ द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी, चमोली के विरूद्ध 500 पॉलीहाउस कागजों में बने होने के आक्षेप लगाते हुए माह जून, 2021 में ज्ञापन दिया गया था, आरोप की गम्भीरता के दृष्टिगत शासन द्वारा जिलाधिकारी से सत्यापन के आदेश किए गए थे? यदि हां, तो अब तक कुल कितने सत्यापन कराए जा चुके हैं तथा उसका अब तक का परिणाम क्या है? क्या मंत्री जी बताएंगे कि परिणाम के आधार पर शासन का निर्णय क्या हुआ? क्या सरकार जनपद चमोली की केन्द्रीय योजनाओं ,राज्य सेक्टर की योजनाओं तथा जिला सेक्टर की योजनाओं के माध्यम से विगत 3 वर्षों में पॉलीहाउस की सूची सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण

श्री धन सिंह नेगी
23.06.2021

43. क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में सिडकुल द्वारा आवंटित जमीन पर औद्योगिक इकाईयों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के हरिद्वार स्थित क्षेत्र में कितनी औद्योगिक इकाईयों को जमीन आवंटित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

औद्योगिक विकास

श्री धन सिंह नेगी
23.06.2021

44. क्या लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्री अवगत हैं कि राज्य में कृषकों के उन्नयन के लिए ग्रोथ सेन्टरों का चयन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक कितने ग्रोथ सेन्टरों का चयन किया गया है तथा उनके द्वारा क्या–क्या सुविधाएं अनुमन्य की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम

श्री धन सिंह नेगी
24.06.2021

45. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में मनरेगा के तहत कार्मिक रखे गये है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मनरेगा के तहत जनपद वार सृजित पदों व उसके सापेक्ष रखे गये कार्मिकों का विवरण उपलब्ध करायेंगे? क्या यह भी सत्य है कि मनरेगा के कार्यों का तकनीकी परीक्षण भी होता है? यदि हां, तो वर्तमान में मनरेगा के कार्यों का तकनीकी परीक्षण कराने की क्या व्यवस्था विद्यमान है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री धन सिंह नेगी
28.06.2021

46. क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री अवगत हैं कि राज्य में उद्यान विभाग के फार्म हाउस है? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान में उद्यान विभाग के फार्म हाउसों का विवरण उपलब्ध करायेगी? क्या यह भी सत्य है कि सरकार इन फार्म हाउसों पर बीज उत्पादन का कार्य भी करती है? यदि हां, तो क्या सरकार उन फार्म हाउसों का विवरण उपलब्ध करायेगी जिनसे सरकार बीज एवं अन्य उत्पादन का कार्य कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान एवं फलोद्योग

श्री धन सिंह नेगी 28.06.2021	47. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि राज्य में मोटा अनाज के बीज संरक्षण की योजना पर कार्य चल रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में राज्य के परम्परागत बीज मंडुवा, झंगोरा, चौलाई, राजमा, अदरक, हल्दी, मिर्च, जखिया, मेथी, अरबी, दालें इत्यादि के बीज बनाने के लिए सरकार की योजना का विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री महेश जीना 28.06.2021	48. क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि विधानसभा क्षेत्र सल्ट में अत्याधिक मात्रा में लखोरी मिर्च (लाल मिर्च) का उत्पादन किया जाता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि लखोरी मिर्च (लाल मिर्च) का उत्पादन करने वाले किसानों को स्थानीय बाजार नहीं होने के कारण स्थानीय छोटे व्यापारियों को बेचा जाता है जिससे उन्हें मिर्च का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है? क्या सरकार सल्ट क्षेत्र में स्थानीय बाजार लगाकर किसानों से लखोरी मिर्च(लाल मिर्च) खरीदेगी और किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री महेश जीना 29.06.2021	49. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कुल कितने ऐसे परिवार हैं, जो आज समय में भी आवास विहीन है? क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र सल्ट के विकासखण्ड सल्ट व स्याल्दे में वर्ष 2017 से आतिथि तक कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवास हेतु आवेदन किया है और कुल कितनों को आवास उपलब्ध कराये गये है? क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले आवास विहीन परिवारों को 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत शीघ्र ही आवास उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री राजेश शुक्ला 30.06.2021	50. क्या गन्ना विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किच्छा चीनी मिल में ऐथनॉल प्लांट लगाने की घोषणा 2019 में की थी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ऐथनॉल प्लांट किच्छा चीनी मिल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार स्थापित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	गन्ना विकास

श्री धन सिंह नेगी 30.06.2021	51. क्या उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री अवगत हैं कि राज्य में तराई बीज विकास निगम एक निर्धारित प्रक्रिया से बीज बनाने का कार्य करता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि बीज प्रोसेस के लिए कितना समय निर्धारित होता है तथा वर्तमान में विभाग की योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण
श्री धन सिंह नेगी 30.06.2021	52. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में मनरेगा के जॉब कार्ड धारकों के लिए परिवार के हिसाब से कार्ड बनाये जाते हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मनरेगा अधिनियम, 2005 के तहत जॉब कार्ड बनाने की शर्तें क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री धन सिंह नेगी 02.07.2021	53. क्या सैनिक कल्याण मंत्री अवगत हैं कि राज्य में उपनल के माध्यम से कार्मिक रखे जाते है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में उपनल के माध्यम से कार्मिकों को रखे जाने का क्या प्राविधान है? यदि नहीं, तो क्यों?	सैनिक कल्याण
श्री महेश जीना 02.07.2021	54. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि को प्रोत्साहित करने व कृषि क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विकासखण्ड स्तर पर कृषि विकास संस्थान की स्थापना करने हेतु कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो मंत्री जी तद्सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री धन सिंह नेगी 05.07.2021	**द्वितीय मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 में स्थानान्तरित।** 55. क्या सैनिक कल्याण मंत्री अवगत हैं कि राज्य में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों की स्मृति में संग्रहालय/स्मृति द्वार बनाये जाते हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत विक्टोरिया क्रास विजेता वी0सी0 गबर सिंह नेगी के गांव मज्यूड़ में प्रस्तावित संग्रहालय के लिए कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	सैनिक कल्याण
श्री महेश जीना 12.07.2021	56. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 से आतिथि तक कुल कितने मोटर मार्ग स्वीकृत हुए है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आज समय तक कुल कितने मोटर मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और कुल कितने मोटर मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा कुल कितने मोटर मार्गों का निर्माण कार्य होना शेष रह गया है? क्या सरकार तद्सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास

नत्थी–"घ"

कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 की बैठक में दिनांक 27 एवं 28 अगस्त, 2021 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

दिनांक 27 अगस्त, 2021 (शुक्रवार)

1. दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (डी0आई0एम0एस0) विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2. **निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-**

1. श्री मनोज रावत, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य आन्दोलनकारी स्व0 श्री बाबा मोहन सिंह उत्तराखण्डी ने गैरसैंण को राजधानी बनाये जाने के लिए अपने प्राणों की आहूति दी थी इसलिए जनमानस की भावनाओं को देखते हुए भराड़ीसैंण (गैरसैंण) स्थित विधान भवन का नाम राज्य आन्दोलनकारी 'स्व0 श्री बाबा मोहन सिंह' उत्तराखण्डी विधान भवन भराड़ीसैंण /गैरसैंण कर दिया जाय।"

2. श्री महेश जीना, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये जनसंख्या के मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुये ग्रामसभाओं में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाय।"

3. श्रीमती ममता राकेश, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सिडकुल (औद्योगिक आस्थानों) की स्थापना की गयी है किन्तु उक्त आस्थानों में उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को नाम-मात्र का रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि उक्त कम्पनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा/आदेश किया गया था लेकिन किसी भी आस्थान/कम्पनियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रदेश के स्थानीय युवाओं / बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।"

4. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के समेकित एवं सर्वागींण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्तरीय आय व्ययक आवंटन को भौगोलिक एवं आर्थिक आलोक में युक्तिसंगत बनाने एवं राज्य के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक अधिकार सम्पन्न "आय व्ययक एवं वित पोषण समरूपता प्रदायक आयोग" का गठन कर उसका कियान्वयन किया जाय।"

3. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया "बाल गंगा विकास खण्ड" बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

4. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।"

5. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय"।

6. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय"।

7. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय"।

8. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय"।

9. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय"।

10. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु "राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।"

11. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।"

12. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।"

13. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय"।

14. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय"।

15. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय"।

16. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न करायें"।

17. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण किये जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या-1118/XVII-1/2013-01(20)2013 में दिये गये शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुर्नविचार करते हुए यह माना जाय कि शासनादेश के बिन्दु संख्या-02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय"।

18. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाय कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि में काबिज हो किया जाय"।

19. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाय"।

20. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाय"।

21. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/ गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय"।

22. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय"।

23. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहा पर यह कार्यरत है।

24. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि स्वर्गीय डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा उत्तराखण्ड द्वारा भराड़ीसैंण, (गैरसैंण) जनपद चमोली में विधान सभा भवन निर्माण कार्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए योगदान प्रदान करने के दृष्टिगत भराड़ीसैंण (गैरसैंण) विधान सभा परिसर के विधायक हॉस्टल का नाम उनकी पुण्य स्मृति में कर दिया जाय।"

25. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।"

26. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था को समाप्त कर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाय। और ऐसी संस्थाओं को चयनित करने के लिए इस वर्ग के प्रबुद्ध जनों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाय।"

27. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकाण्डा के ग्राम सभा ढोलीगांव व लूगड़ में जनहित को देखते हुए आई0टी0आई0 खोला जाय।"

28. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में अक्टूबर, 2005 के बाद से नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।"

29. **निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-**

1. श्री मनोज रावत, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत केदारनाथ विधान सभा में विश्वस्तरीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।"

2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि एक राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय दीर्घकालिक योजना निरूपित कर वर्तमान विषमताओं के निदान के लिए एक उच्च स्तरीय 'स्वास्थ्य सेवा परामर्शी दात्री आयोग' का गठन किया जाय।"

3. श्री महेश जीना, "यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में विकासखण्डों को विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नये विकास खण्डों के गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।"

30. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।"

31. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।"

32. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।"

33. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।"

34. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।"

35. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर "डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।"

36. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।"

37. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय"।

38. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाय।"

39. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाय।"

40. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाय।"

41. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के कमांक 24-25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गये है जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाय।"

42. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का लालन-पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।"

43. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित कास्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों को शीघ्र निस्तारण किया जाय"।

44. श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के किसानों की फसलों को बन्दरों व सुअरों के आतंक से बचाने व निजात दिलाने के लिए ठोस नीति बनायी जाय।"

45. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि डाटकाली मन्दिर को जाने वाली सुरंग के पुनर्निर्माण एवं वन वे मोटर मार्ग सुनिश्चित किया जाय।"

46. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में निरन्तर हो रही दैवीय आपदा के दृष्टिगत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग भूमिहीन परिवारों को राजस्व भूमि आवंटित कराने हेतु एक उच्चस्तरीय प्रादेशिक समिति गठित की जाय। जो उनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं युक्त स्थलों का विकास भी सुनिश्चित किया जाय और सिडकुल जैसी भूमि भी इसमें शामिल की जाय।"

47. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड-ओखलकाण्डा, धारी व रामगढ़ के मध्य एक पालिटैक्निक कालेज खोला जाय।"

48. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।"

49. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

50. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत "इरशाद हुसैन" आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।"

51. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोडों रूपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।"

52. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय-व्यय निर्धारण में सम्बलियन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक-पृथक मात्राकरण आय-व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निर्थक हो गया है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय-व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करें।"

53. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।"

54. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

55. "सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक-एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद-21के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हॉसिल हो सके।"

56. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एंव गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में बनने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।"

57. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये। ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्ध हो सके।"

58. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।"

59. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"अनुसूचित जाति बाहुल्य राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु।"

60. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"जनपद हरिद्वार के इकबालपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नहर का कार्य तत्काल शुरू कराने के सम्बन्ध में"

61. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र को कुम्भ क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में"

62. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :-

"युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए हरिद्वार में पूर्ण नशाबन्दी किये जाने विषयक"

दिनांक 28 अगस्त, 2021 (शनिवार)

63. श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा :-

"सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)"